न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेश कुमार मालव, R.A.S.

रेफरेन्स संख्या : 139/2009

सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

रूपनारायण पुत्र बिरदाराम, जाति–धानका, निवासी–ग्राम दुर्जनियावास, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 31.01.2019

तहसीलदार, जयपुर द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम दुर्जनियावास की आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 20 बीधा 05 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन नाला दर्ज है, जिसमें से 05 बीधा आवंटन होने के फलस्वरूप आवंटी के नाम दर्ज होकर वर्तमान में आवंटी के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज नाला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी नाला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

Scanned by CamScanner

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम दुर्जनियावास की आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 20 बीधा 05 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन नाला दर्ज है, इसमें से 05 बीधा रूपनारायण पुत्र विरदाराम, जाति–धानका, निवासी–दुर्जनियावास को आवंटित की जाकर खातेदारी दी गई है। नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 अनुसार रूपनारायण पुत्र बिरदाराम के नाम खातेदारी दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 01 रकबा 20 बीधा 05 बिस्वा में से 05 बीधा का आवंटन किया गया हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई है। जबकि राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में यह आराजी बिला लगानी नाला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नाला की आराजी को रूपनारायण पुत्र बिरदाराम, जाति–धानका को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज और पश्चातवर्ती इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार

Scanned by CamScanner

किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमनें विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 ग्राम दुर्जनियावास की आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन नाला दर्ज है इसमे से 05 बीघा आवंटन किये जाने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या–115 रूपनारायण के नाम दर्ज होकर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0–121 स्वीकार हुआ हैं। नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 में अप्रार्थी के नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज बिला लगानी नाला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को राजस्व अभिलेख में बिला लगानी नाला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2015–2034 से होती है और इस आराजी का आवंटन रूपनारायण पुत्र बिरदाराम, जाति–धानका को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–115 ग्राम–दुर्जनियावास से होती है। गैर–खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 115 खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 121 स्वीकार किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक नाला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत बिला लगानी नाला भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार बिला लगानी नाला भूमि की

Scanned by CamScanner

आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई सुसंगत दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 01 रकबा 20 बीधा 05 बिस्वा में से किया गया आवंटन रकबा 05 बीधा को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नाला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। प्रार्थी को दिनांक 26.03.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.01.2019 को सुनाया गया।

31/1/19

(नरेश कुमार मालव)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner